प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष... 2022.....
प्र. इ. रि. स. 7/2023 ..... दिनांक 10/01/2023.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....196.....समय.....3:05 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 09.01.2023.... समय 11.43 एएम .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 03.01.2023 समय.....01.15 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण 8 किलोमीटर .....
(ब) पता – पटवार मण्डल परबतपुरा, जिला अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री मोहन सिंह.....
(ब) पिता का नाम श्री मल्ला सिंह .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 40 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....खेती .....
(ल) पता 1279/38, विज्ञान नगर, गली नं. 5, अजमेर पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर .....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्रीमती दर्शना सबल पत्नी श्री अभिषेक तंवर उम्र 31 साल जाति रेगर, निवासी बी–229, चन्द्रवरदाई नगर अजमेर हाल पटवारी हल्का खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर।

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....8,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....8,000/– –रू0 रिश्वत राशि .....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर। विषय :– रिश्वत लेने वालें के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी मोहन सिंह रावत विज्ञान नगर, अजमेर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी श्री मल्लासिंह का स्वर्गवास करीब 6–7 साल पहले हो गया हैं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैने मेरे पिताजी के नाम की खानपुरा गांव में स्थित जमीन की नकल निकलवायी तो मेरे पिताजी का ही नाम चल रहा है, जिस पर मैंने हल्का पटवारी से श्री दीपक टांक से सम्पर्क किया तो उसने नामान्तरण नही खोला, जिस पर मैने मेरे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसान के संबंध में एक शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र तहसीलदार, अजमेर के समक्ष करीब तीन माह पूर्व प्रस्तुत किया था, जो हल्का पटवारी को भेज दिया। फिर भी पटवारी दीपक ने नामान्तरण नही खोला और कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफर हो गया। करीब डेढ माह पूर्व वर्तमान पटवारी श्रीमती दर्शना से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे कागज नही है, जिस पर मैने पहले वाले पटवारी दीपक टांक को फोन कर कागज दिलवाये, फिर भी मेरे पिताजी के नाम की जमीन का नामान्तरण हमारे नाम नही खोला। 25 दिसम्बर 2022 को मैने पुनः पटवारी श्रीमती दर्शना से सम्पर्क किया तो कहा कि अभी तो मेरे पास टाईम नही है, नये साल में तुम्हारा काम कर दूंगी परन्तु दस हजार रूप्ये लगेगे। आज दिन में समय करीब 12–12.15 बजे मैं पटवारीजी से मिला तो उसने कहा कि 10,000 रूपये लेकर आ गये हो तो मैने कहा कि अभी व्यवस्था नही हुई है मेड़म में व्यवस्था करके लेकर आता हूँ। मैं पटवारी श्रीमती दर्शना पटवार हल्का खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक : 03.01.2023 प्रार्थी, एस.डी. (मोहन सिंह) विज्ञान नगर, अजमेर।

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय : 01.15 पीएम दिनांक : 03.01.2023

परिवादी श्री मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री मल्ला सिंह, जाति रावत उम्र 40 साल निवासी 1279/38, विज्ञान नगर, गली नं. 5, अजमेर पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् निरीक्षक पुलिस मीरा बेनीवाल के समक्ष पेश की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की तो बताया कि मैं अनपढ़ हूँ, रिपोर्ट किसी मिलने वाले से टाईप करवाकर लाया हूँ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। पूछने पर बताया कि "मेरे पिताजी के व ताउजी बलदेवसिंह के नाम ग्राम खानपुरा में जमीन हैं। मेरे ताउजी बलदेव सिंह का स्वर्गवास भी तीन साल पहले हो गया था। पटवारी ने उनके हिस्से का नामान्तरण उनके वारिसान के खोल दिया, परन्तु हमारे नाम अभी तक नही खुला। वर्तमान पटवारी श्रीमती दर्शाना पटवार हल्का खानपुरा मेरे पिताजी के नाम की जमीन का नामान्तरण मेरी मॉ श्रीमती सीता, हम दोनो भाईयो व बहिन मोहनी, पांची के नाम खोलने के दस हजार रूपये रिश्वत मांग रही हैं। मैं रिश्वत नही देना चाहता हूँ।" परिवादी ने जमाबंदी, शपथ पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, स्वयम् का आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवही की गई। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी पटवारी से कोई रंजिश व उधार का लेन–देन नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 को बुलाकर परिवादी श्री मोहन सिंह रावत से आपस में परिचय करवाया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी के साथ बजानिब परबतपुरा चौराहा की तरफ रवाना किया। बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 व परिवादी श्री मोहन सिंह उपस्थित कार्यालय हाजा आये तथा श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0 ने बताया कि "परबतपुरा बाईपास से कुछ पहले पहूँच कर वॉयस रिकार्डर चालु कर मैने परिवादी को रवाना किया परन्तु पटवारी नही मिली। जिस पर परिवादी से आरोपिता को फोन करवाया गया तो 15 मिनट में आने हेतु बताया तथा कुछ समय बाद आरोपिता ने पुनः फोन कर कहा कि आ जाओ मैं निकलुंगी। जिस पर परिवादी को पुनः वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी ने आकर वॉयस रिकार्डर दिया, जिसे मैंने बंद कर अपने पास रखा व परिवादी को साथ लेकर उपस्थित आया।" परिवादी ने पूछने पर बताया कि "मेरी श्रीमती दर्शना से पटवार घर में बात हुई, जिसने नामान्तरण खोलने के 10,000 रूपये मांगे तो मैने उसे 2 हजार रूपये दिये, जो उसने रख लिये मैने काम की कहा तो उसने कहा की कर दूंगी, सारे एक साथ व्यवस्था करके देना। पटवारी ने शेष राशि 2–3 दिन में लेकर आने हेतु कहा हैं।" वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना तो सत्यापन होना पाया गया। रिकार्डर को अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था का उपस्थित आने हेतु आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.01.2023 को परिवादी श्री मोहन सिंह रावत उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि आज पटवारी के बारे मे मालुम किया तो वह पटवार घर पर ही हैं। उसके बाद श्री संजीव एण्ड्रयू वरिष्ठ सहायक एवं श्रीमती शिखा नरूका वरिष्ठ सहायक को तलब कर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 8,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मोहन सिंह द्वारा पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी के मोबाईल से आरोपिता के मोबाईल पर वार्ता करवायी गई तो आरोपिता ने कहा कि आज में निकल गई हूँ कल परसो आउंगी। रूबरू गवाहान व बमौजूदगी परिवादी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के वॉयस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की तथा वार्ता की दो सीडीयां तैयार की एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम"** अंकित किया जाकर फर्द एवं कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 06.01.2023 को परिवादी श्री मोहन सिंह ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि पटवारी श्रीमती दर्शना पटवार मण्डल मे आ गयी हैं वो अभी मेरे से रिश्वत ले लेगी। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय

दोनो स्वतन्त्र गवाहान, एसीबी स्टॉफ मय वॉयस रिकार्डर एवं रिश्वत राशि प्राईवेट वाहनो से नेक्सा शॉरूम, पंबरतपुरा पहुॅची, जहां परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी के मोबाईल से आरोपिता के मोबाईल पर वार्ता करवायी तो आरोपिता ने कहा कि आज तो मैं निकल गई हूॅ सोमवार को आउंगी। अतः इमरोजा ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होने से परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मौके पर फारिक कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी, अजमेर पहुॅची। दिनांक 09.01.2023 को परिवादी श्री मोहन सिंह ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि पटवारी श्रीमती दर्शना पटवार मण्डल आने वाली है, आप आ जाओ। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, एसीबी स्टॉफ श्री नरेश चौहान पु.नि., श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0, श्रीमती रूची उपाध्याय म.कानि0 तथा श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को मय अलमारी मे से लिफाफे सहित निकलवायी रिश्वत राशि एवं वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, मय प्राईवेट वाहन रवाना परबतपुरा स्थित नैक्सा शॉरूम के पास पहुॅची, जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी उपस्थित मिला। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 से रिश्वत राशि लिफाफे में से निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा श्री रविन्द्र सिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी को दिया गया तथा रिश्वत राशि लेन–देन हेतु रवाना पटवार मण्डल परबतपुरा के लिए किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पटवार मण्डल के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। समय 11.43 एएम पर परिवादी श्री मोहन सिंह रावत ने कार्यालय पटवार मण्डल परबतपुरा, जिसमें पटवारी परबतपुरा, खानपुरा, खाजपुरा, माखुपुरा, पालरा, जिला अजमेर इत्यादि बैठते हैं से बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों श्री नरेश चौहान पु.नि., श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्रीमती रूची उपाध्याय म.कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री गोविन्द सहाय शर्मा कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री संजीव एण्ड्रयू, श्रीमती शिखा नरूका को ईशारा कर हमराह लेकर परिवादी श्री मोहन सिंह के पास पहुॅची तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर रिकार्डर को बंद कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि अभी थोडी देर पहले मैं पटवार घर में गया तो सामने लगी टेबल कुर्सी पर श्रीमती दर्शना पटवारी बैठी हुई थी तथा उसके सामने एक आदमी और बैठा हुआ था, जो आदमी मेरे आने के बाद उठकर चला गया था। मैने मेड़म को नमस्कार किया, मैड़म फोन पर किसी से बाते कर रही थी। फोन पर बात खत्म होने के बाद मैने मेरे काम की बात की तो मेड़म ने कहा कि वैसे तो नामान्तरण खुलने में 45 दिन लगते है परन्तु मैं तुम्हारा काम 20–25 दिन में कर दूंगी, इसके बाद मैने रिश्वत राशि की संबंध में बात की तो पटवारी ने 8,000 रूपये अंगुलियो के ईशारे से बताते हुए टेबल पर रखने का ईशारा किया, जिस पर मैंने उनके सामने टेबल पर रखे रजिस्टर के उपर रखे, जिसके उपर पटवारी जी ने पीले कलर की फाईल रख दी। इसके बाद मैंने बाहर आपको ईशारा कर दिया। इसके बाद मन् निरक्षक पुलिस, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो को हमराह लेकर परबतपुरा पटवार मण्डल में प्रवेश किया। उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठी महिला की और ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यह पटवारी दर्शना जी हैं। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त महिला को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए आने का प्रयोजन बताया तथा उससे उसका परिचय पूछा तो उक्त महिला घबरा गई तथा कुछ नही बोली। कुछ देर रूककर स्वत् ही बताया कि मैने रूपये हाथ मे नही लिये ये रख गया हो तो मुझे पता नही और यह कहते हुए रोने लग गई। इस पर पटवारी को सांत्वना देने के बाद उनसे परिचय पूछा तो अपना नाम श्रीमती दर्शना सबल पत्नी श्री अभिषेक तंवर उम्र 31 साल जाति रेगर, निवासी बी–229, चन्द्रवरदाई नगर अजमेर हाल पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर होना बताया। श्री नरेश चौहान, निरीक्षक पुलिस आरोपिता के चन्द्रवरदाई स्थित निवास स्थान की तलाशी हेतु रवाना हुए। तत्पश्चात् आरोपिता श्रीमती दर्शना से पुनः परिवादी से रिश्वत की मांग व लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि "यह व्यक्ति मेरे पास 03.01.23 को आया था तब मैने इसको कहा था मुझे डेढ महिने से ही चार्ज मिला हैं और तुम्हारे कागज तो मुझे 15–20 दिन पहले ही मिले हैं। अभी यह मेरे पास आया था तथा नामान्तरण खोलने के संबंध में बातचीत हुई तो मैने इसको कहा वैसे तो 45 दिन लगते है लेकिन तुम्हारा काम मैं 20–25 दिन में कर दूंगी। मैने इससे कोई रूपये नही मांगे, मैं टेलीफोन पर बात कर रही थी, इसने रूपये रख दिये हो तो मुझे ध्यान नही है। मैंने रूपये हाथ में नही लिये, ना ही गिने।" इस पर परिवादी ने इसका खण्डन करते हुए बताया कि "मैं 03.01.23 को पटवार घर में इनसे मिला तो इन्होने मेरे से नामान्तरण खोलने के 10,000 रूपये मांगे थे तथा उस दिन मेरे से 2,000 रूपये ले लिये। शेष 8,000

रूपये दो तीन दिन मे देने के लिए कहा था। इस पर मैने दिनांक 06.01.23 को इन पर फोन पर बात की तो इन्होने कहा कि मैं आज तो निकल गई हूँ सोमवार को आ जाना। इस पर मैं अभी थोड़ी देर पहले आकर इनसे मिला और मेरे नामान्तरण के बारे मे बात की तो इन्होने 20–25 दिन में काम करने के लिए कहा और इशारे से 8,000 रूपये टेबल पर रखे रजिस्टर पर रखने के लिए कहा, जो मैने इनके सामने रखे रजिस्टर पर रख दिये और इन्होने अपने पास पड़े पीले फाईल कवर को रूपयो के उपर रख दिये और मैं बाहर आ गया।" पटवार घर में एक और व्यक्ति सफेद जॉकिट पहना हुआ कुर्सी पर बैठा हुआ एवं दूसरा व्यक्ति मफलर लगाये हुए खड़ा हुआ था। जॉकिट पहने व्यक्ति को पूछने पर अपना नाम दीपक कुमार टांक पटवारी, पटवार हल्का परबतपुरा होना बताया। परिवादी की और ईशारा कर पूछा तो बताया कि "मैं व हीरा सिंह निवासी माखुपुरा अभी आये ही हैं, मोहन सिंह हमारे को गेट पर ही मिला था।" दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम हीरा सिंह मो.नं. 9413949305 होना बताया और कहा कि "मैं पटवारी मेड़म से नक्शा लेने के लिए आया ही था कि हमारे पीछे पीछे आप लोग भी आ गये।" इस पर उक्त दोनो व्यक्तियो को बाहर बरामदे में रूकने के लिए कहा गया। इसके बाद आरोपिता पटवारी के सामने लगी टेबल पर रखे पीले फाईल कवर को गवाह श्रीमती शिखा नरूका से उठवाया गया तो उक्त फाइल कवर के नीचे हरे कलर के रजिस्टर के उपर 500–500 रूपये के कुछ नोट दिखायी दिये, जो गवाह श्रीमती शिखा नरूका के पास रखवाये गये। इसके बाद बाहर दुकान से पानी की बोतल मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का गिलास निकलवाकर उसको साफ पानी से धुलवाया जाकर कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, गिलास के घोल मे रूई का फौंहा डूबोकर जिस स्थान पर 500–500 रूपये के नोट रखे हुए थे, रजिस्टर व फाईल कवर के रिश्वत राशि बरामद स्थान को रगड़कर धोवण लिया गया तो धोवण का हल्का गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर उक्त धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क कमंशः आर 1, आर 2, चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्रीमती शिखा नरूका के पास रखवाये गये नोटो को दोनो गवाहान को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत से मिलान करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोट गिनकर 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये होना एवं नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना बताया। बरामदशुदा रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 16 नोट को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। रिश्वत राशि हरे कलर के पी–35 रजिस्टर ग्राम खानपुरा के उपर एवं भगवंत ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन नाम के पीले कलर के फाईल कवर के नीचे से बरामद हुई थी, इसलिए उक्त रजिस्टर एवं फाईल कवर के मुख पृष्ठ पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दोनो को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपिता श्रीमती दर्शना पटवारी को परिवादी के द्वारा नामान्तरण खोलने हेतु प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज एवं नामान्तरण खोले जाने के संबंध में पूछा तो बताया कि गांव खानपुरा के खातेदार मल्ला सिंह की फौत हो जाने से उनके स्थान पर उनके वारिसानो के नाम नामान्तरण खोलने के संबंध में इसके चचेरे भाई पूनमचंद द्वारा तहसीलदार अजमेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी नकल इत्यादि पूर्व पटवारी श्री दीपक कुमार टांक ने मुझे चार्ज में दिनांक 12.10.2022 को दिये थे, जो मेरे बेग में रखी फाईल मे रखे हुए हैं। मैंने इसके पिताजी के नाम की जमीन का नामान्तरण नही खोला हैं, मुझे विज्ञान नगर में इसके वारिसान के संबंध में मौका जांच करनी हैं। उसके बाद नामान्तरण खोलना हैं। इस पर उक्त बैग में से परिवादी से संबन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने की कहने पर पटवारी श्रीमती दर्शना ने अपने बैग से दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन किया गया तो तहसीलदार अजमेर के नाम परिवादी के भाई श्री पूनमचंद द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.22, जिस पर हल्का पटवारी खानपुरा के नाम तहसीलदार अजमेर का आदेश पृष्ठांकन दिनांक 04.10.22 मय मूल शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर, मृत्यु प्रमाण हजारी सिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र अणदी पत्नी हजारी सिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र बलदेव सिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र मल्ला सिंह रावत, मृत्यु प्रमाण पत्र सीतादेवी पत्नी श्री मल्ला सिंह एवं जमाबंदी खाता संख्या 150, 137, 173, 205 ग्राम खानपुरा होना पाये गये। उक्त दस्तावेजो की फोटो कॉपी करवायी जाकर प्रमाणित की जाकर पटवारी श्री दीपक कुमार टांक को बरामदे से बुलवाकर सुपुर्द किये गये तथा मूल दस्तावेजो पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपिता की टेबल पर एक लेडिज हैण्ड बैग रखा हुआ है, जिसकी

तलाशी ली गई तो हैण्ड बैग की अलग–अलग पॉकिट में कुल 10,030 रूपये मिले। जिनके बारे में पूछने पर पटवारी श्रीमती दर्शना ने बताया कि 700रूपये नकल शुल्को के हैं, जो जरिये चालान जमा करवाने हैं तथा बाकी रूपये मैंने अपने घर खर्च हेतु बैंक से नवम्बर महिने में निकलवाये थे। उक्त रूपये के अलावा हैण्ड बैग की तलाशी में श्रीमती दर्शना का एक मोबाईल सेमसंग कम्पनी बरंग काला एण्ड्रोयड जिसमें बीएसएनएल कम्पनी की सरकारी सीम मो.नं. 9530311088 लगी होना व उक्त मोबाईल सरकारी होना, दूसरा मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग मेटेलिक जिसमें जीयो कम्पनी की सीम मो.नं. 7823810130, दूसरी वोडाफोन कम्पनी की सीम जिसके मो.नं. 6378489396 है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आर.जी.एच.एस. कार्ड, एटीएम कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र मिले। उक्त सभी वापस हैण्ड बैग में रखवाये गये। आरोपिता को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब किया गया। पटवार घर में पटवारी श्रीमती दर्शना से संबन्धित रिकार्ड पटवारी श्री दीपक कुमार टांक को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस, मय आरोपिता श्रीमती दर्शना सबल, स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं एसीबी स्टॉफ मय जब्तशुदा आर्टिकल परबतपुरा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुँची। परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी व आरोतिपा के मध्य रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता व लेन–देन के समय रूबरू हुई वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की दो सीडीयां तैयार की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम–1"** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मोहन सिंह रावत के पिता श्री मल्ला सिंह की मृत्यु होने पर उसके पिता के नाम राजस्व ग्राम खानपुरा में दर्ज कृषि भूमि का विरासत के आधार पर परिवादी व उसके परिवार के सदस्यौ के नाम नामान्तरण खोलने की एवज में आरोपिता श्रीमती दर्शना सबल, पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर द्वारा दिनांक 03.01.2023 को वक्त सत्यापन 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में दिनांक 09.01.2023 को 8,000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी से अपनी टेबल पर रखे पी–35 रजिस्टर के उपर रखवाये, जो रिश्वत राशि आरोपिता की टेबल पर रखे पी.–35 रजिस्टर के उपर एवं भगवंत ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन नाम के पीले कलर के फाईल कवर के नीचे से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपिता श्रीमती दर्शना सबल पत्नी श्री अभिषेक तंवर उम्र 31 साल जाति रेगर, निवासी बी–229, चन्द्रवरदाई नगर अजमेर हाल पटवारी हल्का खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(मीरा बेनीवाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती दर्शना सबल, पटवारी, पटवार हल्का खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 7/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 50-53 दिनांक 10.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

10.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।